



न्यायालय :- अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-01 आबूरोड (सिरोही)

पीठासीन अधिकारी : कुलदीप सूत्रकार, R.J.S.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दाण्डिक विविध प्रार्थनापत्र संख्या : 16/2026
सी.आई.एस.संख्या : 25/2026

01- खीमाराम पुत्र पदमाराम, निवासी डुबानाडी, सांगवाडा, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही।

..... प्रार्थी

बनाम

01- राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक आबूरोड । अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थिति :-

- 01- श्री मनोज देवासी, विद्वान अधिवक्ता, वास्ते प्रार्थी ।
02- विद्वान अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य ।

आदेश

दिनांक 18.03.2026

01- प्रार्थी खीमाराम पुत्र पदमाराम की ओर से जरिये अधिवक्ता पुलिस थाना रोहिडा की FIR संख्या 163/2025 अपराध धारा 8/20, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं धारा 345(3) बीएनएस में जब्तशुदा वाहन संख्या RJ38-SD-6990 को सुपुर्दगीनामे व जमानतनामे पर लौटाये जाने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 503 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया । प्रार्थनापत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई । प्रकरण की केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थनापत्र पर बहस उभय पक्षों की सुनी गई ।

02- दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि पुलिस थाना रोहिडा ने उक्त वाहन को कब्जे सरकार लिया है। पुलिस को अनुसंधान में उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है, पुलिस का अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। उक्त वाहन प्रार्थी के घर उपयोगी एकमात्र साधन है, जिससे प्रार्थी के आवागमन एवं काम-काज में आने जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उक्त वाहन प्रार्थी के घर से चोरी हुआ जिसका प्रार्थी ने पुलिस थाना सरूपगंज में चोरी का प्रकरण एफआईआर नंबर 41/2023 दर्ज करवाया था। वाहन वर्तमान में पुलिस थाने में बिना देखरेख के पड़ा है जिससे उसके खराब होने का पूर्ण अन्देशा है । प्रार्थी वाहन का पंजीकृत स्वामी है तथा वाहन के अभाव में उसे कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है अतः जब्तशुदा वाहन संख्या RJ38-SD-6990 प्रार्थी को सुपुर्दगीनामा और जमानतनामा पर लौटाई जावे । विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थनापत्र का सांकेतिक विरोध किया गया ।



03- सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पुलिस थाना रोहिडा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 163/2025 में दौराने अनुसंधान घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या RJ38-SD-6990 को जब्त किया गया है एवं उक्त वाहन के इंजन नम्बर HA11EPJ4M01620 तथा चैसिस नम्बर MBLHAR05XJM01551 हैं। प्रार्थी की ओर से जब्तशुदा वाहन संख्या RJ38-SD-6990 का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त वाहन के चैसिस नम्बर MBLHAR05XJ4M01551 हैं तथा इंजन नम्बर HA11EPJ4M01620 होकर उक्त वाहन खीमाराम पुत्र पदमाराम के नाम पंजीकृत है तथा प्रार्थी की ओर से स्वयं का आधारकार्ड एवं अन्य दस्तावेज भी प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी वाहन का पंजीकृत स्वामी है तथा वाहन बाबत अन्य कोई दावेदार न्यायालय के समक्ष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की सम्भावना है। परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते सुपुर्दगी जब्तशुदा वाहन संख्या RJ38-SD-6990, चैसिस नम्बर MBLHAR05XJ4M01551 हैं तथा इंजन नम्बर HA11EPJ4M01620, स्वीकार किया जाकर निम्न शर्तों के तहत सुपुर्दगी पर छोड़े जाने का आदेश प्रदान किया जाता है कि :-

01- यह कि प्रार्थी प्रकरण में जब्तशुदा उपरोक्त वाहन के सम्बन्ध में 80,000/- अक्षरे अस्सी हजार रुपये का सुपुर्दगीनामा व इसी राशि का जमानतनामा न्यायालय के संतुष्टिप्रद पेश कर तस्दीक करवायेगा,

02- यह कि प्रार्थी अपने खर्चों पर उपरोक्त जब्तशुदा वाहन के रंगीन फोटोग्राफ्स खिंचवाकर थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा एवं थानाधिकारी उक्त फोटोग्राफ्स के आधार पर वाहन का पंचनामा बनवाकर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा,

03- यह कि प्रार्थी उक्त वाहन के स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा एवं न ही प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक उक्त वाहन को अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय अथवा अन्तरित नहीं करेगा एवं न्यायालय द्वारा साक्ष्य में तलब किये जाने पर अथवा विचारण के समाप्त होने पर तलब किये जाने पर अपने खर्चों पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देगा।

4- यह कि प्रार्थी उपरोक्त वाहन को आईन्दा मादक पदार्थों के परिवहन में किसी भी प्रकार से प्रयुक्त नहीं करेगा।

(कुलदीप सूत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम-01 आबूरोड

07- आदेश आज दिनांक 18.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(कुलदीप सूत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम-01 आबूरोड